न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— गासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 40/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जवरीलाल पुत्र ढगलाराम जाति माली निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली		1. ढगलाराम पुत्र सेसाराम 2. शिवलाल पुत्र ढगलाराम 3. गीता पुत्री ढगलाराम पत्नी बींजाराम जाति माली निवासी बेरा बम्बोलिया, सोजत 4. प्रेमचन्द पुत्र सेसाराम 5. कैलाश पुत्र नेमाराम 6. सुरेश पुत्र नेमाराम 7. श्यामलाल पुत्र नेमाराम, जातिगण माली निवासी बेरा पाचुण्डा नेहडा बेरा, सोजत सिटी 8. तहसीलदार भूमि धारक, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

उपस्थितिः—

01. श्री गजेन्द्र दवे, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री जीवराजसिंह लखावत, श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 15/01/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण 01 से 07 स्वर्गीय दानाराम के वंशज है जिसमें दानाराम के दो पुत्र सेसाराम व नेमाराम हुए। सेसाराम के दो पुत्र ढगलाराम व प्रेमचन्द हुए तथा ढगलाराम के जवरीलाल, शिवलाल पुत्र व गीता पुत्री है। वही नेमाराम के तीन पुत्र कैलाश, सुरेश, श्याम है। सरहद मौजा ग्राम सोजत सिटी के खसरा नम्बर 3159, 3176, 3177, 3203 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.4600 किस्म गे0मु0 सडा, बेरा, रास्ता की भूमि आई हुई स्थित है। उक्त सडा एवं बेरा की भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 07 तथा अन्य सह खातेदार की सामलाती कब्जा सुदा भूमि है। जिस पर सभी सह खातेदारान का रहवासी मकान बना हुआ है। इस सडा की भूमि पर प्रार्थी के पूर्वज (दादा) स्वर्गीय सेसाराम का रहवासी मकान पुराना बना हुआ है जिस पर प्रार्थी तथा अप्रार्थीगण संख्या 03 का संयुक्त कब्जा तथा रहवास है। यह मकान पैतृक सम्पति होने से प्रार्थी का जन्म से ही इस पर हक हिस्सा कायम हो चुका है। प्रार्थी के पूर्वज दादा सेसाराम का स्वर्गवास 25 वर्ष पूर्व हो गया।

सहरद मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 2167, 3132, 3136, 3145, 3145, 3154, 3158, 3164, 3165, 3166, 3181, 3185, 3194, 3196, 3197, 3208 कुल खसरा 15 कुल रकबा 7.6700 हैक्टर की भूमि स्वर्गीय दानाराम की खातेदारी की थी तथा उनके पश्चात यह भूमि प्रार्थी के दादा सेसाराम तथा नेमाराम के नाम 1/2— 1/2 हक हिस्से की स्थित है। वाद के पद संख्या 01 में स्थित भूमि में प्रार्थी संख्या 01 तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा स्थित तथा पद संख्या 02 स्थित कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा आता है। प्रार्थी के दादा के स्वर्गवास 25 वर्ष पूर्व हो चुका है उस समय प्रार्थी का जन्म हो चुका है जिससे प्रार्थी कोपार्सन है तथा प्रार्थी का 1/16 हिस्सा नोशनल शेयर से वादस्थ भूमि मे बनता है। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को प्रार्थी की उक्त 1/16 भूमि को किसी अन्य के नाम बेचान, बक्सीस, वसीयत, रहन आदि करने का कोई हक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

अधिकार नही है न ही उक्त भूमि पर अवैध निर्माण कर प्रकृति बदलने का कोई विधिक अधिकार है।

अप्रार्थी संख्या 01 से 03 प्रार्थी की उक्त भूमि को अन्यत्र हस्तान्तरण तथा वर्तमान स्थिति को परिवर्तित करने पर उतारू है तथा उक्त भूमि का बैचान करने हेतु धमकी भी देने लगे। यदि वे ऐसा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को गम्भीर क्षति होगी तथा वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

इस प्रकार वाद विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश कर वादस्थ भूमि में प्रार्थी के हिस्से का अन्यत्र बेचान रहन अन्य हस्तान्तरण नही करने तथा राजस्व रेकर्ड की वर्तमान स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावद्ध किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 3 से 8 बावजूद सूचना/तामिल अनुपस्थित रहने से दिनांक 22.10.2020 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं0 01 व 02 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजुद भी जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने से दिनांक 11.11.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने का अवसर समाप्त कर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि को अपना कब्जा बताकर तथा अवैध खातेदारी प्राप्त होने से अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि को बेचान करने पर आमादा है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करते है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि की प्रकृति प्रतिरिर्वतन कराने व प्रार्थी को बेदखल को आमादा है। जिन्हे वाद निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि के खातेदार है तथा खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषधाज्ञा जारी नही की जा सकती हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र हैरान व परेशान की नियत से उक्त विविध प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि के अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है, रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं

—: आदेश :—

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 15/01/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत